



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : 006/Estt/2010/5-4/Vol.III/PF/1360
दिनांक : 09.08.2019


कार्यालयादेश

संदर्भित पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए अकादमिक विभाग के कार्यों को सुचारु व्यवस्थान्तर्गत अलग-अलग स्तरों में बांटते हुए निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है:

क्रम	व्यवस्था
01	अधिष्ठाताओं द्वारा संचालन अकादमिक विभाग के कार्य संबंधित विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं और उनके अंतर्गत स्थापित विभागों /केंद्रों के द्वारा किए जाएंगे। इसके अंतर्गत फेलोशिप (PDF, JRF, SRF, ICSSR, National OBC, SC/ST, NCRI etc.), एवं चरित्र-प्रमाणपत्र आदि से संबंधित कार्य संचालित होंगे। साथ ही, विभिन्न प्रकार की शोध परियोजनाओं (STRIDE etc.) के प्रस्ताव समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं द्वारा फेलोशिप का विवरण कुलसचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के संमक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
02	समन्वयक कार्यालय (स्नातक पाठ्यक्रम) स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या (Syllabus), विद्यार्थियों का परामर्श (Counselling) की व्यवस्था यहाँ से संचालित होगी। डॉ. शोभा पालीवाल, अकादमिक संयोजक इसकी समन्वयक होंगी।
03	समन्वयक कार्यालय (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या (Syllabus), विद्यार्थियों का परामर्श (Counselling) की व्यवस्था भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय के कर्मियों के सहयोग से संचालित होगी। प्रो. अनिल कुमार पांडेय, अध्यक्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग इसके समन्वयक होंगे।
04	प्रवेश प्रकोष्ठ प्रवेश परीक्षा संबंधी डाटा इंटी, माइग्रेसन, एनरोलमेंट आदि के लिए 'प्रवेश प्रकोष्ठ' गठित किया जाता है। यह परीक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होगा। श्री के. के. त्रिपाठी, प्रभारी, परीक्षा विभाग इस कार्य को भी देखेंगे।

- प्रवेश प्रक्रिया संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यथासमय जारी की जाएगी।
- विद्या-परिषद की बैठकों से संबंधित समस्त कार्रवाई **कुलसचिव कार्यालय** द्वारा की जाएगी।
- विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के परिचय पत्र **कुलानुशासक कार्यालय** द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।


9/08/19
(कुलसचिव)

प्रति,

1. प्रो. अनिल कुमार पांडेय, अध्यक्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
2. डॉ. शोभा पालीवाल, अकादमिक संयोजक
3. श्री के. के. त्रिपाठी, प्रभारी, परीक्षा विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक तथा क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
5. कुलानुशासक कार्यालय
6. संबंधित पत्रावली/ गार्ड फाइल
7. जनसंपर्क अधिकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।